MR. DEPUTY CHAIRMAN: It will start now. You please speak.

Unregulated growth of e-Rickshaws in Indian cities

सुश्री स्वाति मालिवाल (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली): सर पहले ई-रिक्शा एक किफायती और इको फ्रेंडली परिवहन का माध्यम माना जाता था, लेकिन आज बिना निगरानी के चलते ये ज्यादातर दिल्ली और देश की सड़कों पर अराजकता फैलाते हुए नजर आते हैं। सर, जहाँ और ऑटोज़ और टैक्सीज़ को लेकर बहुत सख्त नियम हैं, वहीं ई-रिक्शा धड़ल्ले से, बिना किसी नियंत्रण के, बिना किसी जवाबदेही के चले जा रहे हैं। सर, आप दिल्ली के किसी भी मेट्रो स्टेशन के बाहर देख लीजिए, दिल्ली के किसी भी मार्केट के बाहर देख लीजिए, सैंकड़ों की संख्या में ई-रिक्शा सड़कों के ऊपर खड़े होकर जाम लगाते हुए दिखेंगे। सर, हम यहां यह नहीं कह रहे हैं कि सारे ई-रिक्शा चालक गलत हैं, पर सच यह है कि बहुत अधिक ओवरलोडिंग होती है। एक-एक ई-रिक्शा में, जहां तीन से चार लोग बैठ सकते हैं, वहीं 8 से 10 लोग बिठा दिए जाते हैं।

सर, इन ई-रिक्शा के स्ट्रक्चर्स ऐसे होते हैं कि यदि थोड़ा सा भी बैलेंस बिगड़ जाए, तो पूरा रिक्शा पलट जाता है। यह भी देखने में आता है कि बहुत सारे ई-रिक्शा चालकों के पास न तो कोई लाइसेंस होता है और न ही किसी प्रकार की ट्रेनिंग। वे रॉन्ग साइड पर चलते हैं, ओवरस्पीडिंग करते हैं, रेड लाइट तोड़ते हैं - यह सब आम होता जा रहा है।

सर, राज्य सरकारों के पास इनके कोई सटीक आंकड़े भी नहीं हैं। दिल्ली में ही बताया जाता है कि करीब ढाई लाख से ज्यादा ई-रिक्शा सड़कों पर चल रहे हैं, पर कितनों के पास रजिस्ट्रेशन है, कितनों के पास लाइसेंस है - यह किसी को नहीं पता।

सर, एक महीने पहले दिल्ली में एक 10 साल की बच्ची की मौत हो गई, क्योंकि एक तेज़ रफ्तार ई-रिक्शा उससे टकरा गया। कुछ समय पहले दिल्ली में ही एक 7 साल के बच्चे की भी मौत हुई, क्योंकि उसे एक ई-रिक्शा के अवैध चार्जिंग पॉइंट से करंट लग गया। इस तरह की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं।

राज्य सरकारों को चाहिए कि सबसे पहले ई-रिक्शा की संख्या को सीमित करें। ई-रिक्शा और उनके चालकों की लाइसेंसिंग अनिवार्य होनी चाहिए। रूट और स्टैंड निर्धारित होने चाहिए। जितने भी अवैध चार्जिंग पॉइंट्स चल रहे हैं, उन्हें तुरंत बंद किया जाना चाहिए।

सबसे जरूरी बात यह है कि यदि कोई नियम तोड़े, तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। केंद्र सरकार को चाहिए कि वह इस मुद्दे पर राज्य सरकारों की जवाबदेही तय करे।

महोदय, हमें सुविधा चाहिए, लेकिन सिस्टम के साथ। हमें रफ्तार चाहिए, लेकिन जिम्मेदारी के साथ। और सबसे बड़ी बात, हमें प्रगति चाहिए, लेकिन किसी की जिंदगी की कीमत पर नहीं।

जय हिंद!

MR. DEPUTY CHAIRMAN: The following hon. Members associated themselves with the matter raised by the hon. Member, Ms. Swati Maliwal: Shri Haris Beeran

(Kerala), Dr. Kanimozhi NVN Somu (Tamil Nadu), Shri R. Girirajan (Tamil Nadu), Dr. Sasmit Patra (Odisha), Shri P. Wilson (Tamil Nadu), Shri M. Mohamed Abdulla (Tamil Nadu), Shri Ramji (Uttar Pradesh), Shri Jose K. Mani (Kerala), Shri Sanjay Seth (Uttar Pradesh), Shri Deepak Prakash, (Jharkhand), Shri Dhananjay Bhimrao Mahadik (Maharashtra), Dr. Bhim Singh (Bihar), Shri Samik Bhattacharya (West Bengal), Shri Niranjan Bishi (Odisha), Sh. Brij Lal (Uttar Pradesh) and Dr. Laxmikant Bajpayee (Uttar Pradesh). माननीय सदस्यगण, मैं अगले वक्ता को बुलाऊं, इससे पहले मैं आप सबसे एक निवेदन करना चाहूंगा कि मेरे सामने वे दो विषय हैं, जो जीरो आवर के लिए दिए गए थे। इसके पहले जिन दो वक्ताओं ने विषय प्रस्तुत किए थे, उन्होंने उनसे हटकर बिल्कुल अलग विषय उठाए हैं। आप सभी जानते हैं कि अलग विषय नहीं उठाया जा सकता, इसलिए वे बातें रिकॉर्ड में नहीं जाएंगी। कृपया नियमों का पालन करें। माननीय श्री के. आर. सुरेश रेड्डी। Concern over destruction of forest at Hyderabad University.

Concern over the destruction of forest at Hyderabad University

SHRI K.R. SURESH REDDY (Telangana): Mr. Deputy Chairman, Sir, I want to raise an important issue concerning the University of Hyderabad where land crisis threatens education, environment and justice. The Telangana State Government has initiated the process of selling 400 acres of University of Hyderabad's land at Kancha Gachibowli for commercial purposes. This decision directly contradicts the university's founding principles. ...*(Interruptions)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Jairam *ji*, please take your seat.

SHRI K.R. SURESH REDDY: The University of Hyderabad was established in 1974 through the 32nd Constitution Amendment under Article 371(d)(e) to promote education and research for the Telangana region, which historically faced educational neglect. The move to sell this land is not just a breach of public trust, but a threat to students' future and a serious environmental hazard. Our Party Working President, Shri K.T. Rama Rao, has vowed full support to the agitating university students. The students expressed anguish over this betrayal, highlighting how it jeopardises the university's future expansion and compromises higher education access for marginalised communities.

Environmental catastrophe is in the making. The land in question is a critical natural sanctuary in Hyderabad's shrinking urban ecosystem. It is home to 237 species of birds and endangered wildlife, including the Indian star tortoise, spotted deer, Indian rock python, monitor lizards and so on. It also has two crucial water